DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, GOVT. OF NCT OF DELHI

PUBLIC NOTICE

In order to prevent adverse effects on human beings, cattle population, soil and ecology and in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. SO 667 (E) dated 10th September, 1992, Govt. of Delhi has proposed to impose the following directions as per the DRAFT NOTIFICATION issued on 16.08.2016:

- 1. There shall be complete ban on the sale, production, storage, supply and use of nylon, plastic and Chinese manja and any other kite-flying thread that is sharp or made sharp such as by being laced with glass, metal or other sharp objects in National Capital Territory of Delhi.
- 2. Kite flying shall be permissible only with a cotton thread/ natural fibre free from any metallic/ glass components.

Suggestions and objections are requested from all concerned to this effect within a period of sixty days from the date of issue of this DRAFT NOTIFICATION.

The suggestions and objections are to be addressed to The Secretary, Department of Environment, Govt. of NCT of Delhi, Level 6th C-Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi 110 002 or may be sent by e-mail at senv@nic.in

The complete DRAFT NOTIFICATIONS is available at : www.environment.delhigovt.nic.in

S.M. Ali Special Secretary

पर्यावरण विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

सार्वजनिक सूचना

मनुष्य, पशुधन, मृदा और परिस्थितिकी पर होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने निम्नांकित निर्देश, प्रारूप अधिसूचना दिनाँक 16.08.2016 के तहत, जो कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 667 (ई) दिनांक 10.09.1992 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागू करने का प्रस्ताव रखा है:-

- नायलोन, प्लास्टिक और चीनी मांझा तथा ऐसे अन्य पतंग उड़ाने वाले धागे जो धारदार या शीशे, धातु या अन्य धारदार सामग्री से पतंग उड़ाने के लिए बनाए जाते हैं ऐसे पतंग उड़ाने वाले धागों की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में बिकी, उत्पादन, भंण्डारण, आपूर्ति एवं प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा।
- केवल सूती धागे/प्राकृतिक रेशे जो कि किसी धातु/शीशे के घटकों से रहित हैं उन्हीं से ही पतंग उड़ाने की अनुमित होगी।

इस विषय में सभी संबंधित व्यक्ति अपने सुझाव एवं आपत्तियां सचिव, पर्यावरण विभाग, दिल्ली सरकार, छठा तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली – 110002 को संबोधित कर सकते है या फिर ई-मेल द्वारा senv@nic.in पर प्रारूप अधिसूचना के जारी होने के साठ दिनों के भीतर भेज सकते हैं।

प्रारूप अधिसूचना <u>Website : www.environment.delhigovt.nic.in</u> पर उपलब्ध है।

(एस. एम. अली)

विशेष सचिव, पर्यावरण विमाग